

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 57/2023

GCMS Case No. 2023/110

सायल-

सरकार जरिये जिला पुलिस
अधीक्षक पाली

बनाम

गैरसायल-

मोहम्मद सददीक उर्फ नागौरी पुत्रहुं
मोहम्मद अनवर जाति नागौरी
मुसलमान निवासी म.न. 16 मोनीनों की
मस्जिद के पास रांगणिया मोहल्ला
पाली पुलिस थाना कोतवाली पाली

"इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(V) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975"

उपस्थित :

1. सायल की ओर से लोक अभियोजन अधिकारी पाली।
2. गैरसायल स्वयं उपस्थित।

निर्णय:-

दिनांक - 30.04.2025

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 30.05.2023 को गैरसायल मोहम्मद सददीक उर्फ नागौरी पुत्र मोहम्मद अनवर जाति नागौरी मुसलमान निवासी म.न. 16 मोनीनों की मस्जिद के पास रांगणिया मोहल्ला पाली पुलिस थाना कोतवाली पाली के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(5) के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल मोहम्मद सददीक उर्फ नागौरी पुत्र श्री मोहम्मद अनवर जाति नागौरी मुसलमान निवासी म.न. 16 मोनीनों की मस्जिद के पास रांगणिया मोहल्ला पाली पुलिस थाना कोतवाली पाली का आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हैं, जिसके खिलाफ वर्ष 2020 से इस्तगासा पेश करने की अवधि में 08 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं। जिनमें से 8 प्रकरणों में गैरसायल को दोषसिद्ध घोषित किया जाकर जुर्माने की सजा से दण्डित किया गया है एवं 01 प्रकरण जैर ट्रायल है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-



क्र. स.	मुकदमा नम्बर	धारा	नतीजा पुलिस	नाम न्यायालय निर्णय
1	242/09.07.2020	13 आरपीजीओ	143/22.7.2020	श्रीमान एसीजेएम सादगा पाली से दिनांक 3.9.2020 को 50 रुपये का जुर्माना
2	277/06.08.2020	13 आरपीजीओ	171/10.08.2020	श्रीमान एसीजेएम सादगा पाली से दिनांक 22.9.2020 को 50 रुपये का जुर्माना
3	327/18.09.2020	13 आरपीजीओ	212/25.09.2020	श्रीमान एसीजेएम सादगा पाली से

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

				दिनांक 04.12.2020 को 50 रुपये का जुर्माना
4	08/04.01.2022	13 आरपीजीओ	03/31.01.2022	श्रीमान एसीजेएम सादगा पाली से दिनांक 21.08.2022 को 50 रुपये का जुर्माना
5	355/17.09.2022	13 आरपीजीओ	238/24.09.2022	श्रीमान एसीजेएम सादगा पाली से दिनांक 28.09.2022 को 50 रुपये का जुर्माना
6	45/04.02.2023	13 आरपीजीओ	32/22.02.2023	श्रीमान एसीजेएम सादगा पाली से दिनांक 16.03.2023 को दोष सिद्ध करार कर धारा 3 परिविक्षा अधि. के तहत भर्त्सना व प्रताडना के आदेश व पीओ की धारा 5 के तहत 100 रुपये अभि. व्यय
7	73/21.02.2023	13 आरपीजीओ	35/22.02.2023	श्रीमान एसीजेएम सादगा पाली से दिनांक 16.03.2023 को दोष सिद्ध करार कर धारा 3 परिविक्षा अधि के तहत भर्त्सना व प्रताडना के आदेश व पीओ की धारा 5 के तहत 100 रुपये अभि. व्यय
8	92/10.03.2023	13 आरपीजीओ	49/14.03.2023	जैर ट्रायल

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल मोहम्मद सददीक उर्फ नागौरी पुत्र श्री मोहम्मद अनवर जाति नागौरी आला दर्जे का जुआरी है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध प्रवृत्ति में लिप्त है। जो वर्तमान में भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। उक्त गैरसायल के अवैध जुआ खेलने से अन्य लोगों पर गलत प्रभाव पडने की शिकायत समय समय पर मिलती रही है। जो आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते हैं। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगों का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2(ख)(v) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरुद्ध धारा 2(ख)(5) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर गैरसायल के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

अधिनियम, 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई। गैर सायल बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित होने से सायल की ओर से अभियोजन अधिकारी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

प्रकरण में अभियोजन अधिकारी ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना कोतवाली पाली का बदमाश व्यक्ति है, जिससे विरुद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैरसायल का आम जनता में इतना भय है कि लोग इसके विरुद्ध सूचना देने में भी कतराते हैं, जिससे आम जनता में पुलिस की छवि पर दुष्प्रभाव पड़ता है। गैरसायल आदतन अपराधी है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध में लिप्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

गैरसायल ने अपनी बहस में कथन किया कि उपरोक्त समस्त प्रकरण पूर्व के दर्ज है। वर्तमान में वह काम धंधा कर शांति से अपने परिवार का पालन पोषण करता है तथा वह अब आपराधिक कृत्यों में लिप्त नहीं है। इसलिये गैरसायल के विरुद्ध बने उपरोक्त प्रकरण को निरस्त फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरुद्ध माननीय एसीजेएम सादगा पाली ने मुकदमा नम्बर 327/2020 में पारित निर्णय दिनांक 04.12.2020, प्रकरण संख्या 08/22 में पारित निर्णय दिनांक 21.08.2022, प्रकरण संख्या 355/22 में पारित निर्णय दिनांक 28.09.2022 के द्वारा गैरसायल को अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर 100 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इसी प्रकार माननीय एसीजेएम सादगा कोर्ट पाली ने मुकदमा नम्बर 45/23, 73/2023 में पारित निर्णय दिनांक 16.03.2023 के द्वारा गैरसायल को 13 आरपीजीओ में दोषसिद्ध घोषित कर 100 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(V) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल मोहम्मद सद्दीक उर्फ नागौरी पुत्र मोहम्मद अनवर जाति नागौरी मुसलमान निवासी म. न. 16 मोनीनों की मस्जिद के पास रांगणिया मोहल्ला पाली पुलिस थाना कोतवाली पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत 03 माह की अवधि के लिए पुलिस थाना कोतवाली जिला पाली से निष्काषित कर पुलिस थाना रायपुर जिला ब्यावर के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

दिये जाते हैं। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक 15.05.2025 से 90 दिन के लिये पुलिस थाना रायपुर, जिला ब्यावर में सप्ताह में एक बार अपनी उपस्थिति देगा तथा पुलिस थाना रायपुर, जिला ब्यावर गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नहीं रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नहीं लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल मोहम्मद सददीक उर्फ नागौरी पुत्र मोहम्मद अनवर जाति नागौरी मुसलमान इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रुपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली पाली गैरसायल मोहम्मद सददीक उर्फ नागौरी पुत्र मोहम्मद अनवर जाति नागौरी मुसलमान निवासी म.न. 16 मोनीनों की मस्जिद के पास रांगणिया मोहल्ला पाली पुलिस थाना कोतवाली पाली को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना रायपुर जिला ब्यावर की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी पुलिस थाना रायपुर जिला ब्यावर उनके यहां गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी कोतवाली जिला पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली एवं पुलिस थाना रायपुर जिला ब्यावर को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. बजरंग सिंह)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

पाली

